मेरठ विकास प्राधिकरण

की

12वीं बोर्ड बैठक

दिनाँक 4-12-79

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 4-12-79 की कार्यवाही का विवरण

स्थान : मेरठ विकास प्राधिकरण, कार्यालय 149-साकेत, मेरठ ।

समय : 10 बजे प्रात:

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1-	श्री के०पी०सिंह	आयुक्त	अध्यक्ष
2-	श्री ए०पी०सिंह	जिलाधिकारी	उपाध्यक्ष
3-	श्री बी०जे०खोदायजी	सचिव, आवास विकास	सदस्य
4-	श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगरएवं ग्राम नियोजक	सदस्य
5-	श्री आर०के०सिंह	प्रशासक नगरपालिका, मेरठ ।	सदस्य
6-	श्री एस०सी०गुप्ता	अधि०अभि०, जलनिगम	सदस्य
7-	श्री वाई०के०गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता,आवास एवं विकास	सदस्य
9-	श्री एस०के०गोयल	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	सदस्य

मद संख्या-1

पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि ।

पिछली बैठक दिनाँक 30-3-79 की कार्यवाही की पुष्टि कुछ लिपिकीय संशोधनों के साथ की गयी, जिसे भविष्य के लिये नोट किया गया ।

मद संख्या-2

पिछली बैठक में निर्देशित मामलों में प्रगति ।

(1) अनाधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में ।

बैठक में 9 कालोनियों यथा-शिवशक्ति नगर, गुरुनानक नगर, गौतम नगर, गणेशपुरी, मधुबन कालोनी, महावीर जी नगर-भाग-1, महावीर जी नगर भाग-2, पंचशील कालोनी तथा श्याम नगर के तलपट मानचित्र अनुमोदन हेतु रखे जाने थे किन्तु समयाभाव के कारण इन पर विचार नहीं हो सका । अत: अगली बैठक के लिये स्थगित किये गये ।

बैठक में अनाधिकृत निर्माण रोकने के लिये बनाये गये इन्सपैकिटंग सैल के कार्य कलाप के बारे में अवगत कराया गया । इस सम्बन्ध में यह अपेक्षा की गयी कि इस सैल द्वारा किये गये कार्य पर विस्तृत टिप्पणी अगली बैठक में रखी जाये और विशेष रुप से ऐसे मामलों की विवेचना की जाये जिनमें अनाधिकृत निर्माण गिराने के आदेश बहुत पुराने हो चुके हों और उन पर कार्यान्वियन न हुआ हों ।

(2) हापुड रोड पर प्रथम योजना के प्रथम चरण में भूमि अर्जन करना, कमजोर वर्ग, निम्न वर्ग एवं मध्यम वर्ग के लिये आवास निर्माण की योजना।

इस सम्बन्ध आवास सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि इसको अधिग्रहण करने के लिये बहुत शीघ ही नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा ।

(3) सब्जी मण्डी का वर्तमान स्थान से स्थानान्तरण।

इस सम्बन्ध में चर्चा की गयी और यह अनुभव किया गया कि दिनाँक 30-7-79 की बैठक में इस योजना का आर्थिक दृष्टि से परीक्षण करने तथा अन्य व्यवसायिक कठिनाईयों के सम्बन्ध में मण्डी निदेशक से विचार विमर्श करने का जो निर्णय लिया गया था उस पर कोई कार्यवाही अभी नहीं हुआ है । अत: इस सम्बन्ध में पुन: विचार कर लिया जाये ताकि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सके ।

(4) दामोदर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण कोष से अंकन 75,000/- को दिनाँक 30-3-78 में नाले के निर्माण हेतु जमा किया जाना।

अवलोकित।

(5) भूमिया पुल के निकट मार्ग के दोनों ओर 8300 वर्गगज भूमि जोकि निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के आवास हेतु एवं वयवसायिक योजना हेतु उपयुक्त है, का अधिग्रहण।

सचिव महोदय ने बताया कि इस भूमि के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन बहुत शीघ ही शासन के लिये जारी कर दिया जायेगा ।

(6) मेरठ महायोजना को सजरे पर ड्राफट करने के उपरान्त नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

अवलोकित।

(7) राजकीय इण्टर कालेज के खेल के मैदान में से सडक की ओर 35 फुट चौडी पट्टी पर दूकानें एवं आवासीय भवन बनाने का प्रस्ताव भूमि अर्जन एवं हस्तान्तरण हेतु।

इस सम्बन्ध में बताया गया कि यह मामला अभी शासन में विचाराधीन है और शिक्षा निदेशक द्वारा भूमि स्थानान्तरण हेतु जो आपत्ति उठायी गयी थी, उसके आधार पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

(8) मोहनपुरी में 51425 वर्गगज भूमि पर मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के आवास हेतु प्रस्ताव भूमि अर्जन हेतु।

बैठक में बताया गया कि यद्यपि इस प्रस्ताव को शासन को प्रेषित कर दिये जाने की आशा थी किन्तु कुछ कठिनाईयों के कारण यह प्रस्ताव अभी शासन को नहीं भेजा जा सकता है और इसे शीघ्र ही शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

(9) उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय स्थल पर बहुमंजिलीय आवासीय सूटस बनाने का प्रस्ताव भूमि अर्जन हेतु।

आवास सचिव महोदय ने बताया कि इस भूमि का नोटिफिकेशन बहुत शीघ्र ही शासन द्वारा जारी कर दिया जायेगा।

(10) प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता या सुविधा प्रदान करना।

अवलोकित।

(11) प्राधिकरण को शासन से बर्ष 1979-80 के लिये विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मूल सम्पत्ति के रुप में 50 लाख रुपये की धनराशि का दिया जाना।

इस सम्बन्ध में चर्चा करने पर पता चला कि प्राधिकरण द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है वह भूमि अधिग्रहण एवं विकास के लिये है, जो मूल सम्पत्ति के रुप में नहीं दिया जा सकता । अत: यह निर्देश दिया गया कि इन प्रस्तावों को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से शासन को अधिग्रहण के लिये धनराशि उपलब्ध करने के लिये भेजा जाये । इस बात की ओर भी ध्यान आकृषित किया गया कि भूमि अधिग्रहण के लिये शासन द्वारा और धनराशि तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि पिछली धनराशि का उपयोग नहीं कर लिया गया हो क्योंकि इस प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण के कई प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित हैं । अत: पिछली धनराशि के बारे में यह प्रमाण दे देना पर्याप्त होगा कि इस धंनराशि को किसी भी उपयोग में लिया जा सकता है । वास्तव में यह धनराशि पहले भूमि अध्याप्ति अधिकारी के यहाँ भूमि अधिग्रहण के लिये जमा कर दी गयी थी किन्तु भूमि अधिग्रहण में बिलम्ब होने के कारण जिलाधिकारी के आदेश से इसे वापस ले लिया गया है ताकि बैंक से मिलने वाले ब्याज का नुकसान न हो ।

(12) ड्राफ्टसमैन के लाईसेन्स के नवीनीकरण के नियमों में शिथिलता बरतने के प्रश्न के सम्बन्ध में।

अवलोकित ।

(13) मैकेनिकल इन्जीनियरिंग की डिग्री प्राप्त अभियन्ताओं को औद्योगिक भवन के प्लान्टस के लिये इन्जीनियरिंग लाईसेंस पर विचार।

अवलोकित ।

(14) सूरजकुण्ड के सामने नजूल भूमि पर मध्यम वर्गीय आवासीय भवन बनाने की योजना।

नगरपालिका ने सूचित किया है कि सूरजकुण्ड के सामने नजूल भूमि पर वह निर्माण योजना कार्यान्वित कर रहे हैं इसलिए इस सम्बन्ध में प्रस्तावित योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(15) विकास शुल्क की नई दरों के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में उप समिति की रिर्पोट पर चर्चा की गयी किन्तु ऐसा प्रतीत किया गया कि उप समिति की संस्तुतियों के प्रारुप का वैधानिक दृष्टि से अध्ययन आवश्यक है ताकि बाद में कोई वैधानिक कठिनाई नहीं आये । अतः इन संस्तुतियों का वैधानिक दृष्टि से अध्ययन करने के उपरान्त अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया ।

(16) प्राधिकरण में कुछ नये पदों का सृजन के सम्बन्ध में।

वित्त विभाग के प्रतिनिधि श्री गोयल द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जिन मामलों में आवश्यक प्रतीत हो उनमें अधिकारियों/कर्मचारियों से दो या तीन बर्ष का बान्ड भरवा लिया जाये ।

(17) अतिरिक्त सचिव या उपसचिव के पद के सृजन के सम्बन्ध में।

अवलोकित ।

(18) मेरठ महायोजना में संशोधन प्रस्तावित करने के लिये गठित समिति के सम्बन्ध में।

उपसमिति की संस्तुति को स्वीकृत किया गया और तदनुसार महायोजना में संशोधन के लिये प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया । इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिया गया कि नगरपालिका की नई व पुरानी सीमा के साथ-साथ उन नोटिफिकेशनों का सन्दर्भ भी दिया जाये जिनसे सीमायें निर्धारित की गयी हैं ताकि कोई वैधानिक अडचन न हो ।

(19) कम्पाउडिंग शुल्क में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नही लिया जा सका। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश भी दिया गया कि समायोजन शुल्क में छूट देने का अधिकार अध्यक्ष स्तर पर दिया जाना चाहिए ताकि कुछ ऐसे मामलों में जिनमें अनाधिकृत निर्माण करने वालों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, व्यवहारिक निर्णय लिया जा सके। इस बिषय में समुचित प्रस्ताव प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

(20) विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकरण एवं आबंटन सम्बन्धी नियमों के सम्बन्ध में।

अवलोकित। किन्तु इस सम्बन्ध में आवास सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि पंजीकरण के नियमों के सम्बन्ध में एक शासनादेश शासन द्वारा जारी किया गया है, उसका भी अध्ययन कर लिया जाये और यदि कुछ संशोधन आवश्यक हों तो तदनुसार परिवर्तन पर विचार कर लिया जाये।

मद संख्या-3

संशोधित बजट 1979-80

विचार विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय के साथ बजट स्वीकृत किया गया किन्तु निर्देश दिये गये कि भविष्य में

1- धनराशि को अलग-अलग दिखाया जाये।

2- क्लोसिंग बैलेंस को भी अलग से दिखाया जाये।

3- प्राधिकरण की पूरी आर्थिक स्थिति का विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

4- ऋण की धनराशि के उपयोग का प्रमाण-पत्र भी दिया जाये।

नोट :- इसी बजट पर चर्चा करते समय स्टाफ वैलफेयर की भी चर्चा की गयी और यह निर्देश दिया गया कि प्रावीडेन्ट फण्ड का प्रस्ताव शीघ्रतिशीघ्र किया जाये।

मद संख्या-4

प्राधिकरण के आशुलिपिक एवं ड्राफ्टसमैन के वेतनमान मे संशोधन।

इसे अगली बैठक के लिये स्थगित किया गया ।

मद संख्या-5

विनियमित क्षेत्र एवं विकास क्षेत्र के बीच के स्थल का महायोजना में भूउपयोग निर्देशित किया जाना।

अनुमोदित ।

मदसंख्या -6

पुराने भवन की मरम्मत की अनुमति हेतु फीस 10/- रुपये नकल फीस एवं वाद की तिथि के स्थगन की फीस रू० 2/- आदि का निर्धारण।

अनुमोदित ।

मद संख्या-7

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद की योजना संख्या-3 मेरठ फेज-3 में 42 एकड भूमि जो मेरठ महायोजना में बस अडडे हेतु सुरक्षित है, व्यवसायिक भूउपयोग हेतु दर्शित है एवं 13.5 एकड भूमि जिसको आवासीय भूप्रयोग में परिवर्तन करना है, के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जो 42 एकड भूमि व्यवसायिक भूउपयोग हेतु दर्शायी गयी है उसमें से 30 एकड भूमि का प्रयोग आवासीय कर लिया जाये और शेष 12 एकड को व्यवसायिक ही रखा जाये ।

मद संख्या-8

मोदी रबर इन्डस्ट्रीज काम्पलैक्स का ले-आउट।

इसकी स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गयी कि मोदी रबर द्वारा 150 फुट चौडी सडक बनाने के लिये समय निर्धारित कर दिया जाये । इस सम्बन्ध में

इस कठिनाई की ओर भी ध्यान आकृषित किया गया कि सडक के आरम्भ में ही एक सरकारी कोल्ड स्टोरेज की भूमि पडने के कारण सडक के निर्माण में बाधा हो रही है । इस पर निर्णय लिया गया कि यदि इस भूमि में कोल्ड स्टोरेज की भूमि आती हो, तो उसे अधिग्रहण किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को पत्रावली भेजने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या-9

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा मेरठ नगर में मध्यम वर्ग के लोगों के लिये आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु बेगमबाग (चकबन्दी कार्यालय) की 2 बीघा, 18 बिस्वा, 2 बिस्वांसी भूमि का अर्जन।

इस संशोधन के साथ अनुमोदित कि आवासीय भवनों की संख्या आबादी के घनत्व को देखते हुए निर्णीत की जाये ।

मद संख्या-10

मेरठ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि का हस्तान्ततरण।

इस संशोधन के साथ अनुमोदित कि भूमि का हस्तान्तरण न होकर पुर्नग्रहण हेतु कार्यवाही करनी होगी ।

मद संख्या-11

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा मेरठ नगर में मध्यम वर्ग के लोगों के लिये आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु जवाहर क्वाटर्स, कोठी नं०-47/2 की 2 बीघा, 1 बिस्वा, 6 बिस्वांसी भूमि का अर्जन।

यह प्रस्ताव इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि आवासीय भवनों की संख्या के बारे में निर्णय आबादी के घनत्व को देखते हुए लिया जाये ।

मद संख्या-12

कार्यालय भवन का स्थानान्तरण।

अनुमोदित ।

मद संख्या - 13

प्राधिकरण के अधिकारियों के लिये स्कूटर/ मोटर साईकिल खरीदने के लिये अग्रिम धनराशि देने हेतु प्राविधान की व्यवस्था।

इस निर्देश के साथ स्वीकृत कि इन ऋणों की शर्ते बिल्कुल उसी प्रकार हों जैसी शासन द्वारा स्वीकृत है ।

मद संख्या-14

अनाधिकृत कालोनियों मे विकास के सम्बन्ध में।

काफी चर्चा के उपरान्त इन पाँच कालोनियों, यथा दशमेश नगर, रामबाग कालोनी, अजन्ता कालोनी, नेहरु नगर व इन्द्रानगर में विकास व्यय 11-50 पैसे प्रति वर्गगज की दर से रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी । इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिया गया कि जितना कार्य इन कालौनियों से प्राप्त धनराशि में हो सके उतना ही कराया जाये ताकि प्राधिकरण को विकास करने में कोई हानि न हो । यह भी निर्देश दिया गया कि विकास व्यय की वसूली के लिये कालोनी के प्रतिनिधियों का यथासम्भव सहयोग प्राप्त किया जाये तथा विकास व्यय की दर को मैट्रिक में परिवर्तित करके वसूली किया जाये ।

मद संख्या-15

प्राधिकरण के लिये कानूनी सलाहकार की नियुक्ति।

स्वीकृत ।

मद संख्या-16,17 व 18

अगली बैठक के लिये स्थगित ।

मद सं०-19

अन्य बिषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्यालय हेतु भवन की व्यवस्था।

विचारोपरान्त यह निर्णय हुआ कि मेरठ विकास प्राधिकरण अपने कार्यालय के लिये एक स्थान नगरपालिका, मेरठ द्वारा टाउन हाल में बनाये जा रहे भवनों में से प्राप्त कर लें। यह भी निर्देश दिया गया कि सचिव कार्यालय के स्थान की आवश्यकता की गणना करते समय अगले 10 बर्ष में कार्यालय भवन की वास्तविक आवश्यकता को भी ध्यान में रखें। नगरपालिका की ओर से बताया गया कि वह इस भवन का मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बाँछित भाग को उन्हें वास्तविक मूल्य अर्थात भूमि एवं भवन के वास्तविक मूल्य एवं ओवर हैडस के आधार पर मेरठ विकास प्राधिकरण को प्रदान कर देंगे।

नोट :- आगामी बैठक दिनाँक 27-12-79 को प्रातः 10-00 बजे किये जाने का निर्णय लिया गया।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण	मेरठ विकास प्राधिकरण	मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।	मेरठ।	मेरठ।